स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना –

1.	संक्षिप्त विवरण	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से (3:1) चलायी जा रही है।
2.	आवेदन कहां किया जायें	सर्वे सूची अनुसार पात्र शौचालय विहीन परिवार ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है।
3.	पात्रता	1. बी.पी.एल शौचालय विहीन परिवार। 2. ए.पी.एल शौचालय विहीन परिवार निम्नानुसार – • अनुसूचित जाति • अनुसूचित जनजाति परिवार • लघु एवं सीमान्त किसान परिवार • भूमिहीन मजदूर परिवार • शारीरिक रूप से अक्षम परिवार • महिला मुखिया परिवार
4.	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	निर्धारित आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/जॉब कार्ड/ अन्य फोटो युक्त पहचान प्रत्र।
5.	देय लाभ/ सुविधाएँ	पात्र लाभार्थी द्वारा घरेलु व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करवाने व उसका लगातार उपयोग लेने व शौचालय पर पानी की टंकी तथा साबुन से हाथ धोने की सुविधा होने पर पंचायत समिति द्वारा लाभार्थी के सीधे बैंक खातें में 12000/– की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता हैं।
6.	भुगतान प्रक्रिया	पात्र लाभार्थी द्वारा घरेलु व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करवाने व उसका लगातार उपयोग लेने व शौचालय पर पानी की टंकी तथा हाथ धोने की सुविधा के पश्चात कार्य पूर्णता पत्र मय दो फोटो (प्रगति कार्य का व पूर्ण कार्य का) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक विवरण संबंधित ग्राम पंचायत में जमा कराने के उपरान्त भौतिक सत्यापन कर प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे ही लाभार्थी को बैंक हस्तान्तरण के माध्यम से किया जाता है।
7.	SLWM योजना	ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त होने पर "ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन योजना" अन्तर्गत पंचायत में निवास करने वाले परिवारों कि संख्या क्रमशः 150/300/500 /500 से अधिक के आधार पर ग्राम पंचायतों को 07 लाख/12 लाख/15 लाख/20 लाख की राशि ग्राम पंचायतों को सीधे ही प्राप्त होने वाली निधिया (SFC/TFC/UTF) से डवटेल कर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।